



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**25.02.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने महेश प्रभुदान लांगा और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत महेश प्रभुदान लांगा को गिरफ्तार किया है। महेश प्रभुदान लांगा को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), मिर्जापुरा कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) ने 28/02/2025 तक 04 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है।

ईडी ने महेशभाई प्रभुदान लांगा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में डीसीबी, पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह पाया गया कि महेशभाई प्रभुदान लांगा के खिलाफ सैटेलाइट पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और संबंधित व्यक्तियों को लाखों रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की गई है।

ईडी की जांच में पता चला है कि महेश प्रभुदान लांगा कई धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेन-देन में शामिल पाया गया है, जिसमें बड़ी रकम शामिल है। महेश प्रभुदान लांगा के वित्तीय लेन-देन में विभिन्न व्यक्तियों से जबरन वसूली, लगातार हेरफेर और मीडिया के प्रभाव का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, महेश प्रभुदान लांगा 'जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले' में भी शामिल है, जिसकी जांच भी निदेशालय द्वारा की जा रही है। महेश प्रभुदान लांगा ने धोखाधड़ी और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में शामिल वित्तीय लेन-देन की वास्तविक प्रकृति में हेरफेर करने और उसे छिपाने की कोशिश की है। उनके बयान में विसंगतियों ने धन के उपयोग की उत्पत्ति और उद्देश्य को छिपाने के उनके प्रयासों के बारे में और संदेह पैदा किया।



आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।